Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालोर में पंचायत समिति सरनाउ, सांचौर कनिष्ठ सहायक कम कैशियर एवं दलाल ई–मित्र संचालक (प्राईवेट व्यक्ति) 2 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *29 मार्च, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये कनिष्ठ सहायक कम कैशियर कार्यालय पंचायत समिति सरणाऊ, तहसील सांचौर, जिला बाड़मेर एवं उसके दलाल रिडमल राम ई–मित्र संचालक, गुन्दाऊ (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **2 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा पंचायत समिति सरनाउ में करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान करने की एवज में कनिष्ठ सहायक कम कैशियर कार्यालय पंचायत समिति सरणाऊ, तहसील सांचौर, जिला बाड़मेर द्वारा अपने दलाल रिडमल राम ई–मित्र संचालक, गुन्दाऊ (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से अपने कमीशन के रूप में **11 लाख 34 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश विश्नोई** के सुपरविजन में एसीबी जालोर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रवण गोयल पुत्र श्री आसूलाल मेघवाल निवासी लाछड़ी, तहसील सांचौर, जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक कम कैशियर कार्यालय पंचायत समिति सरणाऊ, तहसील सांचौर, जिला बाड़मेर एवं उसके दलाल रिडमल राम पुत्र श्री नरसीराम निवासी ग्राम गुन्दाऊ, तहसील सांचौर, जिला जालोर हाल ई–मित्र संचालक, गुन्दाऊ (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **2 लाख रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।